:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर मध्यप्रदेश ::

दूरभाष कमांक (07325) 241000 (का.) 242000(नि.) 242043 (फेक्स)

Email-dmburhanpur@nic.in

क्रमांक/क/व0लि0/पर्यटन/2026/ 2142   बुरहानपुर दिनांक 20/05/2026

// निविदा आमंत्रण सूचना //

एतद् द्वारा सर्वसाधरण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है की, जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् बुरहानपुर का ग्राम असीरगढ स्थित "असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर " जो कि असीरगढ किले के पास पर्यटको की सुविधाओं के लिए निर्मित है, उक्त भवन को चाय-नाश्ता भोजन पानी, होटल व्यवसाय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु मासिक किराये से दिया जाना है। उक्त भवन निम्नांकित शर्तो के अधीन किराये से दिया जावेगा।

- :निविदा की शर्ते :-

01- निविदा अनुबंध हेतु https://mptenders.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से दिनाक ....21..... .मई 2026 से दिनांक ....11.... जून 2026 तक सायंकाल 03.00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोडकर) स्वीकार की जावेगी । इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं की जायेगा । निविदा https://mptenders.gov.in/ एवं https://burhanpur.nic.in/ से देखी एवं पढी जा सकती है। निविदा केवल https://mptenders.gov.in/ के माध्यम से ही स्वीकार की जावेंगी । किसी अन्य माध्यम से निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेंगा।

02- जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् बुरहानपुर का ग्राम असीरगढ स्थित " मिडवे ट्रीट असीरगढ " केन्टीन पार्किंग एवं आवासीय कक्षों के संचालन हेतु पर्यटन को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से न्यूनतम मासिक किराया रूपये 25,000/-(पच्चीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह निर्धारित है।

03- ऑनलाईन निविदा का शुल्क रू. 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) रहेंगा जो वापसी योग्य नहीं होगा । निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ https://mptenders.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से ईएमडी राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार रूपये मात्र) ऑनलाईन जमा की जाना होगी। निविदा स्वीकार होने पर निविदाकार को राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार रूपये मात्र) की राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये जारी एफडीआर अमानत के रूप में प्रस्तुत करना होगी । निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर ईएमडी राशि ऑनलाईन वापस की जावेंगी।

04- निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदाए, दिनांक ...12.. जून 2026 को समय दोपहर 03:00 बजे, इस हेतु प्राधिकृत समिति एवं तत्समय उपस्थित निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जावेगी । निविदा की शर्तो के बिन्दु कमांक 02 में निर्धारित किराया राशि से अधिकतम राशि अंकित करने वाले

निविदाकर्ता की निविदा मान्य होगी। उससे कम राशि अंकित करने पर निविदाकार की निविदा को निरस्त किया जावेंगा।

05- निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव सम्बंधी प्रमाण यदि उसके द्वारा पूर्व संचालन कर कार्य किया ही अथवा इस तरह कोई अनुभव आदि से समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकेगी।

06- निविदा स्वीकार होने के फलस्वरूप, निविदाकर्ता को 06 माह की किराया राशि, असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर के संचालन के एक सप्ताह पूर्व कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् बुरहानपुर के बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्रमांक 953210210000036 (आई एफ एस सी कोड BKID0009532) में जमा कराई जाना होगी। प्रतिमाह के किराये की राशि नियमित रूप से माह समाप्ति के पश्चात् प्रतिमाह की 05 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य होगी।

07- निविदाकर्ता द्वारा निविदाशतों के अधीन लिये गये असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर के संचालन की अवधि 03 वर्ष की होगी। प्रति एक वर्ष समाप्ति पर किराया दर में 10% की वृद्धि की जावेगी तथा यदि निविदाकर्ता द्वारा 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व संचालन बन्द किया जाता है अथवा निविदा की शर्तों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किन्ही भी परिस्थितियों में उल्लंघन किया जाता है, तो अमानत के रूप में जमा एफडीआर की राशि राजसात की जाकर शासन हित में जमा की जावेगी। किसी प्रकार से शासकीय सम्पति को हानि होने पर निविदा समाप्त की जा सकेगी।

08- असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर जिले में पर्यटकों की सुविधा एवं पर्यटन को बढावा दिये जाने के उद्देश्य हेतु आवंटित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियां स्वीकार योग्य नही होगी है। यदि नियम विरूद्ध अन्य कोई अवांछनीय / अनैतिक गतिविधियॉ परिलक्षित होती है तो वसूली की कार्यवाही करते हुए निविदा को 1 माह के अंतराल में निरस्त किया सकता है।

09- निविदा में निर्धारित शर्तो का उल्लंघन पाया जाता है तो एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर निविदा समाप्त भी की सकती है

10- निविदा की समय सीमा 03 वर्ष समाप्त होने के बाद सहमति के आधार पर समय आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। समय सीमा समाप्ति के 02 माह पूर्व ही नवीन निविदा सूचना जारी की जावेगी।

11- प्रथम पक्ष प्रभारी अधिकारी जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् बुरहानपुर / द्वितिय पक्ष के मध्य में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद के क्षेत्राधिकारी/ निराकरण के सम्बंध में कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् बुरहानपुर का निर्णय अतिम होगा।

12- निविदाकर्ता द्वारा असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर के मूलस्वरूप खसरा नंबर 168 (S) रकबा 1.9400 हेक्टेयर में से निर्मित भवन के दाहिने और 19 मीटर , बायी और 19 मीटर तथा भवन के आगे 35 मीटर एवं भवन के पिछे 15 मीटर तक का एरियां निविदाकर्ता को आवंटित किया जावेगा, यदि उक्त सीमा में सार्वजनिक उपयोग निस्तार की भूमि आति है तो उस स्थान पर निविदाकर्ता का अधिकार

नहीं होगा तथा उक्त निर्धारित सीमाओं/ एरिया के अतिरिक्त अन्य शासकीय भूमि का उपयोग किया जाना वर्जित होगा तथा आवंटित भूमि / भवन में प्रथम पक्ष से अनुमति लिये बगैर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन कार्य नहीं करेगा ।

13- निविदाकर्ता स्वच्छता/साफ-सफाई/पारदर्शिता/ अवांछनीय गतिविधियों के लिये पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी होगा । किन्ही भी परिस्थितियों पर उपरोक्त के सम्बंध में शिकायत प्राप्त होने पर अनुज्ञा निरस्त/समाप्त की जा सकेगी।

14- असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर स्थित बिजली का कनेक्शन लिया जावेगा, जिसके बिल का भुगतान नियमित रूप से किये जाने का उत्तरदायित्व असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर संचालनकर्ता / निविदाकर्ता का ही होगा।

15- असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर एवं परिसर में पेयजल स्त्रोत से संबंधित मोटर पंप नल कनेक्शन आदि के रख-रखाव एवं संधारण की जिम्मेदारी तथा भवन में किसी प्रकार का परिवर्तन टूट-फूट , होने पर मरम्मत करने की समस्त जावबदेही निविदाकर्ता की होगी ।

16- असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर जिस निर्धारित सीमा में आवंटित किया जा रहा है । उससे अधिक सीमाओं / भूमि का उपयोग किया जाना वर्जित होगा ।

17- असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर ,शासकीय संपत्ती जिस स्वरूप में निविदाकार को आवंटित की जा रही है । उसी स्थिति / स्वरूप में विभाग को वापस किया जाना आवश्यक होगा । यदि भवन में किसी प्रकार की टूट –फूट होती है अथवा मरम्मत किया जाना पाया जाता है तो निविदाकार द्वारा जमा धरोहर राशि से वसूली की जावेगी ।

18- असीरगढ मिडवे ट्रीट पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मिडवे ट्रीट पर आवश्यक / मूलभूत सुविधाओं / व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये । जैसे पीने का पानी पर स्वच्छ शौचालय,सुरक्षा गार्ड आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा

19- भवन संपत्ति का निरीक्षण समय-समय जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जावेगा । कमीयां पाई जाने की दशा में निविदाकार को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

20 – आवंटित भवन पर कार की पार्किंग की दरे एवं आवासीय भवन के किराये की दरे कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् बुरहानपुर से अनुमोदित कराई जावेगी तथा जो कि बाजार से अधिक नहीं होगी । उक्त दरों को प्रदर्शित करना एवं मानक स्तर की खाद्य सामग्री का विक्रय किया जाना अनिवार्य होगा ।

21- निविदाकर्ता द्वारा असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर के संचालन के दौरान उन्हें आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता को ऐसा अस्थाई निर्माण किया जाना जो कि व्यवसाय के संचालन हेतु अनिवार्य है तो उसके पूर्व कलेक्टर जिला बुरहानपुर को

प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दशति हुए स्वीकृती ली जाना अनिवार्य होगा । निविदाकर्ता द्वारा अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय द्वारा बनाया / हटाया जावेगा ।

22- असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर एक शासकीय भवन है जिसके संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां एवं मादक पदार्थों जैसे –शराब , धुम्रपान, तम्बाखू, गुटखा, बीड़ी सिगरेट, इत्यादि नशीले पदार्थो के विक्रय पर पूर्णत प्रतिबंधित रहेगे । संलिप्त पाये जाने पर विधि अनुसार संचालनकर्ता / निविदाकर्ता के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी । जिसके लिए निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा ।

23- असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर के संचालनकर्ता द्वारा निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे- आधारकार्ड, पैनकार्ड, मतदाता फोटो परिचय पत्र ड्रायविंग लायसेंस, खाता नंबर हेतु बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति आदि दस्तावेज की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा साथ ही निविदाकर्ता का निवास का स्थायी / अस्थायी पते संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जाना भी अनिवार्य होगा। साथ ही प्रारूप क में जानकारी भरी जाना आवश्यक होगा।

24- असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर के संचालन हेतु 07 दिवस के पूर्व निविदाकर्ता एवं प्रभारी अधिकारी जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् बुरहानपुर के गैर न्यायिक स्टाम्प पर अनुबंध सम्पादित किया जावेगा । जिसका व्यय द्वारा निविदाकर्ता को वहन करना होगा ।

25- निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त 02 माह में FSSAI लायसेंस लेना अनिवार्य होगा ।

(सृजन वर्मा)IAS
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं
प्रभारी अधिकारी डीएटीसीसी
बुरहानपुर म.प्र.

क्रमांक/क/व0लि0/पर्यटन/2026/ 2/43 बुरहानपुर दिनांक 20/05/2026

प्रतिलिपि –

1. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निविदा को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करे ।
2. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी की ओर सूचनार्थ भेजकर बुरहानपुर एन.आई.सी. के पोर्टल पर निविदा सूचना को अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं
प्रभारी अधिकारी डीएटीसीसी
बुरहानपुर म.प्र.

प्रारूप क

असीरगढ मिडवे ट्रीट जिला बुरहानपुर के संचालन हेतु निविदा (तकनीकी पक्ष)

1	निविदाकर्ता का नाम	
2	पूर्ण पता	
3	आधार कार्ड नंबर	
4	निविदाकर्ता का पैन नंबर	
5	मतदाता फोटो परिचय पत्र नंबर	
6	ड्रायविंग लायसेंस नंबर	
7	बैंक खाता नंबर	
8	बैंक का नाम एवं ब्रांच	
9	कितने वर्षो का अनुभव है (यदि हो तो) (दिनांक से दिनांक तक का उल्लेख करें)	

मैंने उपरोक्त निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न अनुबंध पत्र की सभी शर्ते क्रमांक 01 से 25 तक पढ ली है मुझे ये शर्ते मान्य है।

दिनांक ....

निविदादाता हस्ताक्षर

नाम ....

पूर्ण पता ....

मोबाईल नंबर ....

Signature Not Verified

Digitally signed by MANOJ SHANKPAL
Date: 2026.05.20 15:03:22 IST
Location: Madhya Pradesh-MP